–: डिक्री :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री सुमित जोशी के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम सदाराम जी का खेड़ा पटवार मण्डल गणेशपुरा स्थित आराजी नम्बर 305 रकबा 2.0801 हैक्टेयर में से रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना न्यायालय को शीघ्र भिजवाएं। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करें।

नीज ....Nil............................मुबलिग .... Nil ....

बाबत् .... Nil ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....

फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 11 वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 30 / 2024 दायर दिनांक 24.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम्

1. सुन्दरलाल पुत्र भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
2. सुशीला पुत्री भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
3. जीतमल पुत्र भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
4. भोली पुत्री भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
5. ममता पत्नी स्व. मनोज जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
6. नाबालिग रानी पुत्री भुरा संरक्षक माता ममता पत्नी मनोज जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
7. नाबालिग अविनाश पुत्र संरक्षक माता ममता पत्नी स्व. मनोज जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
8. विमला पुत्री गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
9. सन्तोष पत्नी स्व. गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
10. कस्तूर चन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
11. फूलचन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
12. भागचन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
13. लोकेश पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
14. अमरी पत्नी स्व. कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
15. ललित पिता जगदीश जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
16. नानालाल पिता जगदीश जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां

.... मदयूनान

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 27 / 11 /2025

डिक्री दिनांक : 27 / 11 /2025

लगातार पेज संख्या 02 पर

पूर्व में आराजी नम्बर 305 रकबा 2.0801 हैक्टेयर में से रकबा 0.1619 है0 में अवैध खनन नही था वर्तमान में उक्त भूमि में अवैध खनन होने से मौका पर्चा तैयार कर 177 की कार्यवाही की गई। मैने किसी को भी अवैध खनन करते नही देखा व खातेदारों को पक्षकार बनाया। हम मौके पर गये तब पानी भरा हुआ था। उक्त आराजी का लॉगिट्यूट व लेक्टीट्यूट का नाप मौके पर्चे में अंकित।

पी–डब्ल्यू–2 प्रभुलाल पिता रामलाल धाकड़ पेशा ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय बिजौलियां ने **पी–डब्ल्यू–1** अशोक प्रजापत के कथनों को ही दोहराया हैं।

प्रकरण में वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा शहादत प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया।

अधिवक्ता विपक्षी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अधिवक्ता विपक्षी एवं पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा ग्राम सदाराम जी का खेड़ा पटवार मण्डल गणेशपुरा स्थित आराजी नम्बर 305 रकबा 2.0801 हैक्टेयर में से रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 27 / 11 /**2025** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम सदाराम जी का खेड़ा का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श–1 हैं, पटवारी हल्का गणेशपुरा का तहसीलदार बिजौलियां को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रदर्श–2 हैं, नक्शा ट्रेस ग्राम सदाराम जी का खेड़ा का पेश किया जो प्रदर्श–3 हैं, खसरा–नक्शा एवं जमाबन्दी (प्रतिलिपि) ग्राम सदाराम जी का खेड़ा का पेश किया जो प्रदर्श–4 हैं, 3 डी गूगल मेप ग्राम सदाराम जी का खेड़ा का पेश किया जो प्रदर्श–5 हैं, जीपीएस मेप केमरा ग्राम सदाराम जी का खेड़ा का पेश किया जो प्रदर्श–6 हैं, की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण में वादी ने पी–डब्ल्यू– 1 अशोक प्रजापत पिता सुगनलाल पटवारी प0ह0 रेसुन्दा एवं **पी–डब्ल्यू–2** प्रभुलाल पिता रामलाल धाकड़ पेशा ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय बिजौलियां के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

पी–डब्ल्यू–1 अशोक प्रजापत पिता सुगनलाल पटवारी प0ह0 रेसुन्दा ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम सदाराम जी का खेड़ा पटवार मण्डल गणेशपुरा की आराजी नम्बर 305 रकबा 2.0801 हैक्टेयर भूमि सुन्दरलाल 1/7, सुशीला 1/7, कालु 1/7, जीतमल 1/7, भोली 1/7, ममता 1/63, रूपी 1/7, नाबालिग रानी संरक्षक माता ममता 1/63, विमला 1/21, संतोष 1/21, नाबालिग अविनाश संरक्षक माता ममता 1/63 जाति रेगर सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। जिसमें से कालू पुत्र भूरा एवं रूपी पत्नि स्व0 भूरा की मृत्यु हो चुकी हैं। मौतविरान ने दूरभाष पर मृतक कालू के कस्तूरचन्द, फूलचन्द, भागचन्द, लोकेश पिता कालु अमरी पत्नि स्व0 कालु ललित नानालाल पिता जगदीश वारीसान होना बताया हैं। उक्त आराजी पर दिनांक 16.01.2024 को गिरदावर सा0 के साथ पहुंचकर मौका पर्चा बनाया गया। जो उक्तानुसार प्रदर्श होकर उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

जिरह – उक्त आराजी नम्बर 305 रकबा 2.0801 हैक्टेयर ग्राम सदाराम जी का खेड़ा का मौका पर्चा व 177 की कार्यवाही 2 बार हो रखी हैं। इससे पूर्व में उक्त वर्णित आराजी को बिलानाम सरकार करने हेतु 177 का दावा पूर्व में प्रस्तुत हैं। भूमि व मौके पर नाप चोक कर नक्शा कायम नहीं किया। राजस्व रेकॉर्ड प्रदर्श – 3 संलग्न हैं।

लगातार पेज संख्या 04 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 30 / 2024

दायर दिनांक 24.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. सुन्दरलाल पुत्र भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
2. सुशीला पुत्री भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
3. जीतमल पुत्र भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
4. भोली पुत्री भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
5. ममता पत्नी स्व. मनोज जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
6. नाबालिग रानी पुत्री भुरा संरक्षक माता ममता पत्नी मनोज जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
7. नाबालिग अविनाश पुत्र संरक्षक माता ममता पत्नी स्व. मनोज जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
8. विमला पुत्री गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
9. सन्तोष पत्नी स्व. गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
10. कस्तूर चन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
11. फूलचन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
12. भागचन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
13. लोकेश पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
14. अमरी पत्नी स्व. कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
15. ललित पिता जगदीश जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
16. नानालाल पिता जगदीश जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. श्री सुमित जोशी – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 27/11/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सदाराम जी का खेड़ा पटवार मण्डल गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 305 रकबा 2.0801 हैक्टेयर किस्म 1.9991 है0 चाही द्वितीय व रकबा 0.0810 है0 बंजड भूमि प्रतिवादीगणों के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 305 रकबा 2.0801 हैक्टेयर भूमि में खातेदारो की मौके पर काश्त नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगणों को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया जाकर प्रतिवादीगणों ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 305 रकबा 2.0801 हैक्टेयर में से 0.1619 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारो द्वारा अवैध खनन किया होकर वर्तमान में खड्डे होकर पानी भरा हुआ है। एवं आराजी नम्बर 305 की शेष भूमि रकबा 1.9182 है0 भूमि पर पूर्व में धारा 177 की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हैं।

अतः प्रतिवादीगणों को उक्त ग्राम सदाराम जी का खेड़ा की आराजी नम्बर 305 रकबा 2.0801 हैक्टेयर में से 0.1619 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये जो शामील पत्रावली हैं। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता सुमित जोशी ने अंडर ट्रेकिंग ली एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री सुमित जोशी ने प्रस्तुत वादपत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। एवं जिरह का अवसर चाहा गया जो दिया गया।

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा